कार्यालय, नगर परिषद्, हवेली खड़गपुर

बिहार सरकार

सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–4081, दिनांक–26.12.2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है, जिसका विवरणी निम्नवत हैं :–

स्वच्छता साथी कौन होंगे–

1. स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है, परन्तु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. अभ्यर्थी की उम्र 40 से अधिक ना हो और मैट्रीक पास होना चाहिए।
3. अभ्यार्थी की आवाज साफ हो
4. अभ्यर्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
5. अभ्यर्थी के रूप में Waste Picker, Citizen Leader, SHG member, Swachhagarhi, Sanitation worker, Brand Ambassadors एवं NULM, ASHA, Anganwadi worker, NGOs youth, Community Based Organizations, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते है।
6. नगर परिशद् स्तर पर कुल संख्या–10 स्वच्छता साथी।

चयन प्रक्रिया :–

1. प्राप्त हुए आवेदन की Selection Criteria के आधार पर जाँच एवं मिलान कर अभ्यर्थियों का One-To-One Interview लिया जाएगा।
2. आवेदन करने की अंतिम तिथि – 25.01.2025
3- Interview के लिए कार्यालय द्वारा अलग से सूचना दी जाएगी।
4- Interview के उपरान्त चयनित अभ्यार्थी के साथ Agreement कर उन्हें वार्ड आवंटित किया जाएगा।
5. आवेदन फॉर्म नगर परिशद्, हवेली खड़गपुर से प्राप्त करें।

स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभ–

1. कार्य अवधि पांच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी एवं प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी।
2. प्रत्येक स्वच्छ साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए engage किया जाएगा।
3. 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो वर्ष के किसी भी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) में मान्य होगा।
4. स्वच्छता साथी को Contractual Basis पर एक वर्ष के लिए Hire किया जाएगा, जिसकी अवधी अक्टूबर, 2026 तक बढ़ाई जा सकती है।
5. प्रतिदिन रू0 300.00 के दर से प्रतिमाह 20 दिन का मानदेय **300x20=6000.00** रू0 मानदेय के रूप में देय होगा।
6. मानदेय कर्मी के Bank Account में ही भेजा जाएगा।
7. छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
8. सभी स्वच्छता साथी को Monitor करने की जिम्मेदारी, छुट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले लोक स्वच्छता पदाधिकारी देखेगें।
9. किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोशजनक नहीं होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

नोटः– यह किसी भी प्रकार से Permanent Position नहीं है, अतः किसी भी तरह का Claim मान्य नहीं होगा।

1. अधिक जानकारी के लिए सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, नगर परिषद्, हवेली खड़गपुर से सम्पर्क करें या नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–4081, दिनांक–26.12.2024 का अवलोकन करे।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, हवेली खड़गपुर

PR- 017101 (B & C) 2024-25

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।